ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India
(Department of Animal Husbandry and Dairying)
42 Mile Stone, Delhi-Agra Highway, NH-2,
Ballabhgarh, Haryana-121004
Email: support@awbi.gov.in: Website: www.awbi.gov.in

No.: AC-02003/4/2026-AWBI

To,
The Chief Secretary,
All States and Union Territories.

Subject: Implementation of the Prevention of Cruelty to Animals (Application of Fines) Rules, 1978 read with Section 38(2)(k) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960- reg.

Ref: The office letter dated 25.07.2014 (copy enclosed)

Sir/ Madam,

The Animal Welfare Board of India (AWBI) is a Statutory Body established under Section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals (PCA) Act, 1960, with the primary mandate of promoting animal welfare and preventing unnecessary pain or suffering caused to animals.

2. In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of Section 38 of the Act, the Central Government has framed the Prevention of Cruelty to Animals (Application of Fines) Rules, 1978. (copy enclosed)

3. Rule 3 of the 1978 Rules provides in mandatory terms that fines levied and realized under the Act shall, subject to deduction of the cost of collection, be made over by the State Government to the Board, following due appropriation by the State Legislature in that behalf.

4. It is reiterated that the fines covered are strictly those levied and realized under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, and that amounts so remitted are utilized by the Board, in terms of Rule 5 of the 1978 Rules, exclusively for the benefit of recognized societies and institutions within the jurisdiction of the State/UT concerned, and not otherwise.

5. Effective implementation of the above said rules will strengthen the functioning of District SPCAs and other recognized welfare organization in State/UT. Thereby address the issues to prevent unnecessary pain and suffering at the grassroot level.

6. It is requested to direct all the District SPCAs constituted and functioning in each district to effectively implement the above said rules in letter and spirit.

7. In the view of the above, it is also requested to direct the concerned authorities to forward a report to the Board on the status of enforcement of the said rules, for further necessary action in the matter.

A line of confirmation in this regard is highly solicited.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Hindi Version follows.

Yours sincerely,

Digitally signed by
Dr.Maheshbhai Khanabhai Chauhan
Date: 31-07-2026 18:57:57

(Dr. M.K. Chauhan)
Secretary

Enclosure(s): As above.

Copy to:

1. The Director General of Police of all States/ UTs,
2. The District Collector of all Districts in all States/ UTs,
3. The Superintendent of Police in all States/UTs,
4. The Director, Animal Husbandry Department of all States/UTs,
5. The Member Secretary, State Animal Welfare Boards of all States/UTs
6. All the District SPCAs,
7. The Members and Co-opted Members of the Board.

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
42 माइल स्टोन, दिल्ली-आगरा हाईवे, एनएच-2, बल्लभगढ़, हरियाणा-121004
ईमेल: support@awbi.gov.in वेबसाइट: www.awbi.gov.in

सं. एसी-02003/4/2026-एडब्ल्यूबीआई

सेवा में,

मुख्य सचिव
सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश

विषय: पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38(2)(के) के अंतर्गत पशु क्रूरता निवारण (अर्थदण्ड आरोपण) नियम, 1978 को लागू करने संबंध में।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्रांक दिनांक 25.07.2014 (प्रति संलग्न)।

महोदय / महोदया,

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जिसका प्राथमिक अधिदेश पशु कल्याण को बढ़ावा देना और पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाना है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (के) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा पशु क्रूरता निवारण (अर्थदण्ड आरोपण) नियम, 1978 को बनाया गया है (प्रति संलग्न)।

3. पशु क्रूरता निवारण (अर्थदण्ड आरोपण) नियम, 1978 के नियम 3 में यह अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत वसूल किये गये अर्थदंड की वसूली पर होने वाले व्यय के उचित विनियोजन के उपरांत, शेष राशि राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि जुर्माने की राशि में केवल पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत वसूले गए अर्थदण्ड शामिल हैं। इस प्रकार भेजी गई राशि का उपयोग 1978 के नियमों के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा केवल संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में मान्यता प्राप्त समितियों एवं संस्थानों के लाभ के लिए किया जाएगा तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

5. उपर्युक्त नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में जिला एसपीसीए तथा अन्य मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों के कार्यों को सुदृढ़ता प्राप्त होगी। इसके परिणामस्वरूप पशुओं को होने वाले अनावश्यक दर्द एवं पीड़ा की रोकथाम से संबंधित मुद्दों का जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सकेगा।

6. अतः अनुरोध है कि प्रत्येक जिले में गठित एवं कार्यरत सभी जिला एसपीसीए को उपर्युक्त नियमों का अक्षरशः एवं भावना के अनुरूप प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ।

7. उपर्युक्त विषय में यह भी अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को उक्त नियमों के प्रवर्तन की वर्तमान स्थिति के संबंध में बोर्ड को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जाए, ताकि इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

इस संबंध में पुष्टि की एक पंक्ति अपेक्षित है।

यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by
Dr.Maheshbhai Khanabhai Chauhan
Date: 21-08-2026 18:13:04

(डॉ. एम. के. चौहान)
सचिव

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत:
1. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक।
2. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारी।
3. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षक।
4. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के निदेशक, पशुपालन विभाग।
5. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सदस्य सचिव, राज्य पशु कल्याण बोर्ड।
6. सभी जिला एसपीसीए।
7. भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य एवं सह-सदस्य।